



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 696]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 12, 2015/कार्तिक 21, 1937

No. 696]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 12, 2015/KARTIKA 21, 1937

गृह मंत्रालय

भारतीय भूपत्तन प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2015

सा.का.नि. 850(अ).—भारतीय भूपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 31) की धारा 18 की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ भारतीय भूपत्तन प्राधिकरण एतद्वारा निम्नलिखित विनियमन बनाता है, नामतः-

1. लघुशीर्ष एवं आरंभ:-

- 1) इन विनियमनों को भारतीय भूपत्तन प्राधिकरण (संविदा) विनियमन, 2015 कहा जा सकता है।
- 2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं:-

(1) इन विनियमनों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- क) "अधिनियम" से अभिप्राय भारतीय भूपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 31) है।
- ख) "प्राधिकरण" से अभिप्राय अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत गठित भारतीय भूपत्तन प्राधिकरण से है।
- ग) "अध्यक्ष" से अभिप्राय अधिनियम की धारा (2) के खण्ड (ग) में उसको दिए गए अर्थ से होगा।
- घ) "सदस्य" से अभिप्राय प्राधिकरण के सदस्य से है।

(2) यहां पर उपयोग किए गए शब्द एवं अभिव्यक्ति तथा जो परिभाषित नहीं हैं, परंतु जो अधिनियम में परिभाषित हैं, उनका अर्थ वह होगा जो उन्हें क्रमशः अधिनियम में दिया गया है।

3. संविदाएं अथवा संविदा वर्ग, जिनको प्राधिकरण की प्रामाणिकता की सामान्य सील से सील करना आवश्यक है:-  
निम्नलिखित संविदाओं अथवा संविदा वर्गों को प्राधिकरण की प्रामाणिकता की सामान्य सील से सील किया जाएगा, नामतः-

क) अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से की जाने वाली संविदाएं;

ख) जहां संविदा की अवधि पांच वर्ष से अधिक है, वहां प्राधिकरण की स्वीकृति से की जाने वाली संविदाएं;

ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकरण को स्वीकृत ऋणों एवं अग्रिमों के संबंध में की गई संविदाएं।

4. जिस पद्धति से संविदा को प्राधिकरण की सील से सील किया जाना है:-

1) प्राधिकरण सील का सुरक्षित संरक्षण उपलब्ध कराएगा।

2) सभी संविदाएं सहमति संलेख, लाइसेंस संलेख, इन्डेन्चर अथवा समान दस्तावेज, जैसा भी मामला हो, प्राधिकरण तथा संबंधित पक्ष द्वारा यथाविधि हस्ताक्षरित किए जाएंगे तथा सहमति संलेख, लाइसेंस संलेख, इन्डेन्चर अथवा समान दस्तावेज को जैसा भी मामला हो, जहां भी आवश्यक हो, एक उपयुक्त मूल्य के गैर-न्यायिक पेपर में निष्पादित किया जाएगा।

3) प्राधिकरण की सील को उप-विनियमन (2) में संदर्भित किसी दस्तावेज पर नहीं लगाया जाएगा, सिवाय प्राधिकरण के एक संकल्प अथवा प्राधिकरण द्वारा गठित किसी समिति द्वारा तथा जिसे उसकी तरफ से प्राधिकृत किया गया हो।

4) प्राधिकरण की सील को उप-विनियमन (2) में उल्लिखित दस्तावेज पर कम-से-कम एक सदस्य तथा/अथवा ऐसे अधिकारी की उपस्थिति में लगाया जाएगा, जिन्हें इस उद्देश्य हेतु प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किया गया हो तथा इस प्रकार उपस्थित सदस्य अथवा अधिकारी प्रत्येक ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेगा जिस पर उनकी उपस्थिति में इस प्रकार से प्राधिकरण की सील लगाई गई हो।

[फा.सं. 13/4/2013-बीएडीपी (एल पी ए आई) ]

युद्धवीर सिंह सहरावत, अध्यक्ष

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**  
**LAND PORTS AUTHORITY OF INDIA**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th November, 2015

**G.S.R. 850(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (c) of sub-section (2) of Section 35 and sub-section (2) of Section 18 of the Land Ports Authority of India Act, 2010 (31 of 2010), the Land Ports Authority of India with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

**1. Short title and commencement.-**

(1) These regulations may be called the Land Ports Authority of India (Contracts) Regulations, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

**2. Definitions.-**

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Land Ports Authority of India Act, 2010 (31 of 2010);

(b) "Authority" means the Land Ports Authority of India constituted under section 3 of the Act;

(c) "Chairperson" shall have the meaning assigned to it in clause (b) of section 2 of the Act;

(d) "Member" means a member of the Authority.

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

**3. Contracts or class of contracts, which are required to be sealed with the common seal of the Authority.-** The following contracts or class of contracts shall be sealed with the common seal of the Authority, namely:-

(a) Contracts to be made with the previous approval of the Central Government under sub-section (1) of section 18 of the Act;

(b) Contracts to be made with the approval of the Authority where the period of the contract is over five years;

(c) Contracts regarding loans and advances sanctioned to the Authority by the Central Government.

**4. Manner in which contract is to be sealed with the common seal of the Authority. –**

(1) The Authority shall provide for the safe custody of the seal.

(2) All contracts shall be finalised by the execution of a Deed of Agreement, Deed of Licence, Indenture or a like instrument, as the case may be, duly signed by the Authority and the party concerned and the Deed of Agreement, Deed of Licence, Indenture or like instrument, as the case may be, shall be executed, where necessary, on a non-judicial paper of appropriate stamp value.

(3) The seal of the Authority shall not be affixed to any instrument referred to in sub-regulation (2) except by a resolution of the Authority or of a Committee constituted by the Authority and authorised by it in that behalf.

(4) The seal of the Authority shall be affixed to the instrument referred to in sub-regulation (2) in the presence of at least one Member and/or such officer as the Authority may appoint for the purpose and the Member or officer so present shall sign every instrument to which the seal of the Authority is so affixed in their presence.

[F. No. 13/4/2013-BADP (LPAI)]

YUDHVIR SINGH SHAHRAWAT, Chairman